33

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

['रक्षा सेवाओं, पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना (मांग सं.21) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की माँगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

तैंतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023/ फाल्गुन 1944 (शक)

तैंतीसवां प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

['रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना(मांग सं.21) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की माँगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
21.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति (2022-23) की संरचना		4
प्राक्कथन		6
अध्याय एक	प्रतिवेदन	7
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	18
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	36
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं	39
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार से अंतिम उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं	40

<u>परिशिष्ट</u>

एक	रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की 20.12.2022 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।	42
दो	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना (मांग सं. 21) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की माँगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण	45

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री जुएल ओराम - सभापति

लोक सभा	
2.	श्री नितेश गंगा देब
3.	श्री राहुल गांधी
4.	श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
5.	श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
6.	चौधरी महबूब अली कैसर
7.	श्री सुरेश कश्यप
8.	श्री रतन लाल कटारिया
9.	डॉ. रामशंकर कठेरिया
10.@	श्री डी.एम. कथीर आनन्द
11.	कुंवर दानिश अली
12.	डॉ. राजश्री मल्लिक
13.*	श्री एन. रेड्डप्पा
14.	श्री उत्तम कुमार रेड्डी
15.	श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
16.	श्री जुगल किशोर शर्मा
17.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
18.	श्री प्रताप सिम्हा
19.	श्री बृजेन्द्र सिंह
20.	श्री महाबली सिंह
21.	श्री दुर्गा दास उइके
राज्य सभा	
22.	डॉ. अशोक बाजपेयी
23.	श्री प्रेम चंद गुप्ता
24.	श्री सुशील कुमार गुप्ता
25.	श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
26.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा
27.	डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
28.	श्रीमती पी.टी. उषा
29.	श्री जी. के. वासन
30.	ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
31.	श्री के. सी. वेणुगोपाल

@ 08.12.2022 से नामनिर्दिष्ट।

* **16.11.2022** से नामनिर्दिष्ट।

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर और श्री श्रीधर कोटागिरी, संसद सदस्य, लोकसभा 16.11.2022 से रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे।

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2. डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3. श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना (मांग सं.21)' के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' के संबंध में तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2. अट्ठाईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) को 16 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया । इसमें 48 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं। रक्षा मंत्रालय ने जुलाई, 2022 में सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई उत्तर भेज दिये हैं।

3. समिति ने 20 दिसम्बर, 2022 को हुई बैठक में इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

5. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

नई दिल्ली;
17 मार्च, 2023
26 फाल्गुन, 1944(शक)

जुएल ओराम
सभापति
रक्षा संबंधी स्थायी समिति

प्रारूप प्रतिवेदन

अध्याय - एक

रक्षा संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन 'रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना(एमएपी) (मांग सं.21) के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है जिसे 16 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था।

2. समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में निम्नलिखित विषयों से संबंधित 46 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं:-

पैरा सं	विषय
रक्षा सेवओं पर पूंजीगत परिव्यय	
1-3	बजटीय प्रावधान
4	तीनों सेवाओं हेतु अनुमान और आवंटन
5	अतिरिक्त आवंटन
6	रक्षा बलों का आधुनिकीकरण
7	प्रतिबद्ध देयताएं और नई योजनाएं
8	गैर-व्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष- रक्षा नवीकरण कोष
खरीद नीति	
9	रक्षा खरीद नीति
10	रक्षा खरीद में जवाबदेही और पारदर्शिता
11-12	सैन्य हार्डवेयर के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर बढ़ती निर्भरता
13	आत्म-निर्भरता और मेक इन इंडिया
14	अत्यधिक ठंड में पहने जाने वाले वस्त्र
15-17	ऑफसेट खंड
18	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
रक्षा आयोजना	
19-21	पंचवर्षीय रक्षा आयोजना
22-23	विवाहित आवास परियोजना

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 23 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर सरकार से प्राप्त हो गए हैं। उत्तरों की जांच की गई है और इन्हें निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया है:-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: (अध्याय दो):

पैरा सं. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,16,17,19,20,21,23

(कुल -18)

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है (अध्याय तीन):

पैरा सं. 14,22

(कुल -2)

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं (अध्याय चार):

पैरा सं. 10

(कुल -1)

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार द्वारा अंतिम उत्तर प्रतीक्षित हैं (अध्याय पांच):

पैरा सं. 12,18

(कुल -2)

4. समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय एक में की गई टिप्पणियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया उन्हें यथाशीघ्र और इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के छह माह के भीतर अवश्य प्रस्तुत किए जाए।

5. समिति अब अनुवर्ती पैराओं में अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में की गई कुछेक टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी।

क. <u>तीनों सेवाओं हेतु अनुमान और आवंटन</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 4)

6. समिति ने निम्नवत् सिफारिश की:

"समिति ने देखा कि 2016-17 से तीनों सेवाओं में से किसी को भी मंत्रालय द्वारा बी.ई. और आर.ई. चरण में मांगी गई राशि आवंटित नहीं की गई है। थल सेना हेतु 2016-17 में आर.ई. आंकड़ों में 10,472.04 करोड़ रुपये का अंतर था। यह 2021-22 में बढ़कर 12,967.81 करोड़ रुपये हो गया था। आर.ई. चरण 2016-17 में नौसेना हेतु 2933.76 करोड़ रुपये का अंतर था जो 2021-22 में बढ़ कर 3,989.84 करोड़ रुपये हो गया था। वायु सेना के संबंध में 2014-15 में अंतर 8,273.09 करोड़ रुपये का था जो 2020-21 आर.ई. चरण में बढ़ कर 17,961.62 करोड़ रुपये हो गया था। समिति यह भी देखती है कि 2022-23 में बी.ई. चरण में अनुमान और आवंटन बजट में अंतर थल सेना, नौसेना और वायु सेना के संबंध में क्रमशः 14,729.11 करोड़ रुपये 20,031.97 करोड़ रुपये और 28,471.05 करोड़ रुपये था, जो काफी अधिक है। समिति का मत है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ, विशेषकर सीमा में वर्तमान में अत्याधिक तनाव को देखते हुए, पूंजीगत सघन आधुनिक उपकरणों जो युद्ध के परिणाम हमारे अनुकूल बनाने में अत्यावश्यक हैं और हमारे देश की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हेतु भी आवश्यक है, की खरीद जिससे कि हमारी सेना उनके बराबर या उनसे भी बेहतर हो, के लिए यह स्थिति अनुकूल नहीं है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना हेतु अनुमानों की तुलना में आवंटन में अत्यधिक कमी की प्रवृत्ति को देखते हुए समिति सिफारिश करती है कि आने वाले वर्षों के दौरान किसी भी सेवाओं की मांगों की पूंजीगत शीर्ष के तहत बजट आवंटित करते समय मंत्रालय को कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि 2022-23 के दौरान मंत्रालय तीनों बलों की प्रचालनात्मक तैयारी को देखते हुए संशोधित अनुमान चरण में और अनुपूरक अनुदानों के समय भी आवंटन में वृद्धि करने हेतु उपाय करे।"

7. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"यह मंत्रालय सेनाओं द्वारा पूंजीगत शीर्ष के तहत अनुमानित आवश्यकताओं के अनुकूल निर्णय के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय के साथ बजट पूर्व बैठक में विचार-विमर्श में सेनाओं द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं के विस्तृत कारणों का औचित्य सिद्ध किया गया था/स्पष्ट किया गया था। निधियों का

आबंटन करते समय वित्त मंत्रालय सेनाओं की पूर्व समावेशन क्षमता, मौजूदा वित्त वर्ष में व्यय की गति, उपलब्ध समग्र संसाधन और अन्य तिमाहियों की अत्यावश्यक मांगों इत्यादि का विश्लेषण करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई समग्र सीमाओं के आधार पर रक्षा मंत्रालय सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधीन संगठनों के बीच निधियों का आबंटन करता है जिसमें अंतर सेवा प्राथमिकताओं, व्यय की गति, लंबित प्रतिबद्ध देयताओं इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है।

तथापि समिति को आश्वस्त किया जाए कि सेना द्वारा पूंजीगत शीर्ष को अंतर्गत अनुपूरक/संशोधित अनुमान चरण में अनुमानित अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आवंटित निधियों का कार्यात्मक आवश्यकताओं/ गतिविधियों हेतु इष्टतम उपयोग किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर, स्कीमों की यह सुनिश्चित करने के लिए पुनः प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी कि तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमताओं को प्रचालनात्मक तैयारी से कोई समझौता किए बिना प्राप्त किया जाए।"

8. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में पाया कि 2022-23 में बजट अनुमान स्तर पर सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए अनुमानित और आवंटित बजट में काफी अंतर है। समिति ने हमारे रक्षा बलों के लिए पूंजी सघन घातक आधुनिक हथियारों के अत्यधिक महत्व को रेखांकित किया और इसे प्राप्त करने की सिफारिश की थी। समिति की राय में, यह सही है कि युद्ध जैसी स्थिति में आधुनिक हथियारों के कारण न केवल हम लाभकारी स्थिति में रहते हैं अपितु ये हर समय निरोधक क्षमता के रूप में भी कार्य करते हैं। अतः, समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय को किसी भी सेवा के लिए मांगों में पूंजीगत शीर्ष के लिए बजट आवंटित करते समय कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। समिति को इस संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन पर पूरा भरोसा है और वह चाहती है कि थलसेना, नौसेना और वायु सेना के संबंध में संशोधित अनुमान और अनुपूरक अनुदान चरण सहित आगामी बजटों में इसे अक्षरशः कार्यान्वित किया जाए।

ख. गैर-व्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष- रक्षा नवीकरण कोष

सिफारिश (पैरा संख्या 8)

9. समिति ने निम्नवत् सिफारिश की:

"समिति ने अपने पूर्व के प्रतिवेदनों में सिफारिश की थी कि पूंजीगत बजट को 'गैर व्यपगत' और 'रोल-ऑन' बनाया जाए। मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को बताया गया कि गैर-व्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष हेतु एक कैबिनेट नोट विचारधीन है। समिति ने नोट किया कि 2020-21 में 3,43,822.00 करोड़ रुपये के कुल बजटीय आवंटन में से मंत्रालय द्वारा मात्र 2,33,176.70 करोड़ रुपये का उपयोग हुआ था। चूंकि करीब 110,645.3 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं हुआ था जिसे इसे वित्त वर्ष 2020-21 के तीन महीनों में किया जाना है, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि गैर-व्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष-रक्षा नवीकरण कोष के सृजन में तेजी लाए, जिसका उपयोग मात्र आपात स्थिति में महत्वपूर्ण रक्षा आस्तियों की खरीद में किया जाए। चूंकि गैर-व्यपगत आधुनिकीकरण कोष संबंधी कैबिनेट टिप्पण विचाराधीन है, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि इसके सृजन हेतु अनुमोदन शीघ्र दिया जाए ताकि खरीद अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदानों के चरण में निधियों की मांग के बिना की जा सके।"

10. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"गैर-व्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष के सृजन हेतु प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है। वित्त मंत्रालय से परामर्श करके निधि के संचालन के लिए समुचित तंत्र पर विचार किया जा रहा है।"

11. समिति यह जानकर प्रसन्न है कि अव्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष के सृजन का एक प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है और वित्त मंत्रालय के परामर्श से निधि के प्रचालन की विधि तैयार की जा रही है। समिति को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष से पहले अव्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष (एनएलडीएम) मूर्त रूप ले लेगा और रक्षा सौदों की लंबी खरीद प्रक्रिया के कारण धन/आवंटन समाप्त नहीं होगा। समिति को आशा है अब इसे लागू किया जा सकेगा क्योंकि समिति पिछले कई वर्षों से अव्यपगत कोष पर अंतिम निर्णय लेने के लिए लगातार सिफारिश कर रही है।

यहां, समिति मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहती है, कि उन्होंने मूल प्रतिवेदन में अनजाने में सिफारिश संख्या 8 के स्थान पर सिफारिश संख्या 6 का उल्लेख किया है। हालांकि, इस तरह की चूक का समिति की सिफारिश पर अभी या बाद में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः समिति इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगी । फिर भी वह चाहती है कि मंत्रालय निर्धारित पैटर्न, जिसे मूल प्रतिवेदनों को अग्रेषित करते समय कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से मंत्रालय को हमेशा भेजा जाता है, का पालन करते समय अधिक सावधानी बरते।

ग. <u>रक्षा खरीद में जवाबदेही और पारदर्शिता</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 10)

12. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी :

"समिति नोट करती है कि रक्षा खरीद मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय द्वारा रक्षा पूंजीगत खरीद में ईमानदारी, सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक के सभी मामलों के लिए अनुबंध पूर्व ईमानदारी संधि (पीसीआईपी) का निष्पादन; शिकायतों का समयबद्ध निपटान जो सीवीसी/डीओपी एंड टी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं; सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (सीएफए) का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले एल1 विक्रेता की वैधता (विजिलेन्स स्टेटस) का पता लगाने के लिए जारी निर्देश; संदिग्ध संस्थाओं के साथ 60 सौदों में दंड के लिए दिशानिर्देश और पोत निर्माण कंपनियों के लिए क्षमता मूल्यांकन दिशानिर्देश शामिल हैं। इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि रक्षा क्षेत्र की खरीद प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता अत्यंत अनिवार्य है, समिति मंत्रालय की पहल की सराहना करती है और सिफारिश करती है कि उपरोक्त उपायों का सख्ती से पालन किया जाए और आयुध प्रणालियों की भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्ष और समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए । समिति उन मामलों की संख्या, यदि कोई हो, से अवगत होना चाहती है जब व्यक्ति उपरोक्त दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद दोषी पाए गए ।"

13. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निमन्वत् बताया:

"जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रक्षा पूंजीगत खरीद में सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा गठित सभी कदमों का बहुत सावधानी से पालन

किया जा रहा है । रक्षा मंत्रालय के साथ सौदा करने से प्रतिबंधित/स्थगित/निलंबित इत्यादि कंपनियों का विवरण रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर दिया गया है।"

14. समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की-गई-कार्रवाई उत्तर से नोट किया कि भारत सरकार/ रक्षा मंत्रालय (एमओडी) रक्षा पूंजीगत खरीद में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए निष्ठा, सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के सभी उपाय कर रहे हैं। तथापि, मूल प्रतिवेदन में समिति ने दिशा-निर्देशों के लागू होने के बाद लोगों के दोषी पाए जाने वाले मामलों की संख्या, यदि कोई हो, से अवगत कराए जाने की स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी। मंत्रालय का यह उत्तर कि रक्षा मंत्रालय के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित/स्थगित/निलंबित आदि कंपनियों का विवरण रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है, समिति को स्वीकार्य नहीं है। सामान्य रूप से और स्थापित प्रचलन के अनुसार स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक उत्तर समिति को अवलोकन के लिए भेजा जाना चाहिए। इस समय समिति के पास यह सिफारिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि उनकी पहले की सिफारिशों को कम से कम अब गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के तीन महीने के भीतर प्रतिबंधित कंपनियों के संबंध में एक समेकित, पठनीय एवं विस्तृत विवरण उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मांगी गई जानकारी अद्यतन होनी चाहिए।

घ. <u>अत्यधिक ठंड के मौसम में वस्त्र प्रणाली</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 14)

15. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी :

"समिति ने पाया कि सैनिकों के लिए अत्यधिक ठंड के मौसम की वस्त्र प्रणाली (ईसीडब्ल्यूसीएस) खरीदी जा रही है जो सियाचिन जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए तीन परत वाले कपड़े हैं। समिति नोट करती है कि इसकी खरीद वास्तविक परिस्थितियों में किए गए उपयोगकर्ता परीक्षणों में इसकी प्रभावशीलता पर आधारित है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि खरीद केवल उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित स्रोतों से किया जाए और डीजीक्यूए यह सुनिश्चित करता है कि आपूर्ति और उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित नमूने के बीच कोई अंतर न हो। इसके अतिरिक्त, उपयोग के दौरान गुणवत्ता पर उपयोगकर्ता की संतुष्टि की निगरानी व्यवस्थित प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है और उपयोग के दौरान उपयोगकर्ता गुणवत्ता के मुद्दे सेना के आदेश 323/166 के तहत एक दोष-रिपोर्ट दर्ज कर सकता है, जिसके आधार पर डीजीक्यूए द्वारा उपयोगकर्ता के दावों को सत्यापित करने और दोष के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत तकनीकी जांच की जाती है । समिति यह याद दिलाना

चाहती है कि अपने 7वें और 21वें प्रतिवेदन में उन्होंने देश में ईसीडब्ल्यूसीएस के स्वदेशी उत्पादन की सिफारिश की है। समिति को यह जानकर खुशी हुई कि देशी कंपनियां अब भारत में ईसीडब्ल्यूसीएस का उत्पादन करने में सक्षम है और इसकी खरीद पहले ही स्वदेशी निर्माताओं से शुरू हो चुकी है। समिति मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करती है और आशा करती है कि मंत्रालय के अथक प्रयासों से स्वदेशी रूप से निर्मित और खरीदी गई वस्तुओं में वृद्धि होगी।"

16. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"अधिकारप्राप्त समिति के तत्त्वावधान में एमजीएस (एससीएमई) शाखा द्वारा ईसीडब्ल्यूसीएस की खरीद की जा रही है । पहले इसकी खरीद पूर्व आयातित एक्स इम्पोर्ट के तौर पर की जाती थी। वर्ष 2020 में, एक भारतीय विक्रेता को अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और ईसीडब्ल्यूसीएस संबंधी एक आपूर्ति-आदेश का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है।" इसके अलावा, दीर्घावधि (05 वर्ष) वाली संविदाए जिसमें भारतीय विक्रेताओं ने भाग लिया है, प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं:-

क्र.सं.	**मदें**	**भागीदार विक्रेता**	**वर्तमान स्थिति**
(क)	स्लीपिंग बैग्स (मात्रा-75000 सेट्स) संविदा अवधि-05 वर्ष	14 भारतीय विक्रेताओं ने भाग लिया	उपयोगकर्ता परीक्षणों हेतु नमूना सौंपा गया ।
(ख)	जेडीटीडी (मात्रा-25000 सेट्स) संविदा अवधि-05 वर्ष	01 भारतीय विक्रेताओं ने भाग लिया	उपयोगकर्ता परीक्षणों हेतु नमूना सौंपा गया ।
(ग)	ईसीडब्ल्यूसीएस (मात्रा-75000 सेट्स) संविदा अवधि-05 वर्ष	14 भारतीय विक्रेताओं ने भाग लिया	उपयोगकर्ता परीक्षणों हेतु नमूना सौंपा गया ।
(घ)	वूलेन स्पेशल मोजे (दो परत वाले) (मात्रा-525000 सेट्स) संविदा अवधि-05 वर्ष	12 भारतीय विक्रेताओं ने भाग लिया	उपयोगकर्ता परीक्षणों हेतु नमूना सौंपा गया ।
(ङ)	ग्लव्स आउटर एंड ग्लव्स इनर (मात्रा-75000 सेट्स) संविदा अवधि-05 वर्ष	05 भारतीय विक्रेताओं ने भाग लिया	उपयोगकर्ता परीक्षणों हेतु नमूना सौंपा गया।
(च)	बूट क्रैम्पंस (मात्रा-64998 अदद) संविदा अवधि-03 वर्ष	आरएफपी जारी की गई	

(छ)	एवलांच एयर बैग (मात्रा-25000 अदद) संविदा अवधि-05 वर्ष	आरएफपी जारी की गई

17. समिति ने की-गई-कार्रवाई उत्तर से नोट किया है कि अत्यधिक ठंड के मौसम में वस्त्र प्रणाली (ईसीडब्ल्यूसीएस) को वर्ष 2020 में वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित एक भारतीय विक्रेता के से खरीदा गया है। इसके अलावा स्लीपिंग बैग, ईसीडब्ल्यूसीएस, मोजे विंटर स्पेशल (दो लेयर), ग्लव्स आउटर एंड ग्लव्स इनर के संबंध में पांच वर्षों के दीर्घकालिक अनुबंधों का भारतीय विक्रेताओं द्वारा प्रयास किया गया है, और नमूने परीक्षण के लिए प्रयोक्ताओं को सौंपे गए हैं। समिति ने यह भी नोट किया है कि बूट क्रैम्पन्स और हिमस्खलन एयर बैग के संबंध में प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किए गए हैं, जिसे समिति सही दिशा में लिया गया एक स्वागत योग्य कदम मानती है। इस संबंध में, समिति इस बात पर प्रकाश डालना चाहती है कि परीक्षणों को पूरा करने के लिए प्रयोक्ताओं को कोई समय सीमा नहीं दी गई है। हो सकता है इसके लिए कोई समय-सीमा दी गई है पर समिति इससे अनभिज्ञ है। इसलिए वह विशिष्ट तिथियों के बारे में जानना चाहती है कि नमूने उपयोगकर्ता परीक्षणों के लिए कब सौंपे गए थे, उनकी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए उन्हें क्या समय सीमा दी गई थी और वर्तमान स्थिति जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के के लिए यदि अधिक समय मांगा गया है तो किस आधार पर अधिक समय मांगा गया है। समिति यह भी जानना चाहेगी कि क्या उपयोगकर्ता परीक्षण के पश्चात् वास्तविक उत्पादन शुरू करने के लिए क्या मंत्रालय ने कोई संभावित योजना तैयार की है और इस संबंध में संभावित तिथियां क्या हैं।

ङ. <u>विवाहित आवास परियोजना</u>

<u>सिफारिश (पैरा संख्या 22)</u>

18. समिति ने निम्नवत सिफारिश की :

"समिति नोट करती है कि भारत सरकार द्वारा तीनों सेनाओं के कर्मियों के लिए विवाहित आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से इंजीनियर-इन-चीफ के तत्वावधान में विवाहित आवासों के निर्माण हेतु विवाहित आवास परियोजना महानिदेशालय (डीजी एमएपी) की स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए एमएपी की स्थापना की गई थी। योजना के तहत चार चरणों में दो लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण की योजना बनाई गई थी। वर्तमान में चरण -II के तहत 9,903 आवासीय इकाइयों को पूरा किया जाना है और चरण -III में 71,102

आवासीय इकाइयों ने निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसे पूरा करने के लिए वार्षिक प्रमुख कार्य कार्यक्रम (एएमडब्ल्यूपी) को सौंपा गया है। समिति नोट करती है कि एमएपी के लिए 232.50 करोड़ रु. की आबंटित राशि (31 दिसंबर, 2021 तक) की तुलना में 2020-21 में 209.6507 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। समिति यह जानकार चिंतित है कि एमएपी के चरण-II और चरण-III के तहत आवासीय इकाइयों के निर्माण लंबित होने के बावजूद, 2021-22 में धनराशि का उपयोग बहुत कम हुआ है जो कुल निधि का लगभग एक तिहाई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के व्यय के संशोधित नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की सीमा को संशोधित कर 25 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसलिए, यह समिति की समझ के परे है कि मंत्रालय 2021-22 में शेष आवंटित राशि का उपयोग कैसे कर पाएगा। इसलिए, समिति अनुशंसा करती है कि मंत्रालय को ठोस समय-सीमा के साथ एक व्यय तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि दिए गए वित्तीय वर्ष में आवंटित निधियों का समग्र रूप से उपयोग किया जा सके और अंत में निधियों को वापस नहीं करना पड़े।"

19. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"एमएपी के चरण-I और चरण-II में 1,98,881 आवासीय इकाइयों की कुल आवश्यकता की तुलना में 1,18,675 आवासीय इकाइयों (डीयू) को पूरा किया जा चुका है। वर्तमान में, एमएपी चरण-II की 9,785 आवासीय इकाइयों पर कार्य चल रहा है। अनुदान मांग 2022-23 की अनुपूरक बिन्दु सूची पर फरवरी, 2022 में सौंपे गए उत्तर के अनुसार, यह परिकल्पना की गई थी कि मार्च, 2022 तक 195 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, तथापि, 31 मार्च, 2022 तक केवल 128 करोड़ रुपये ही व्यय किए गए हैं। व्यय में विलंब मुख्य तौर पर कोविड महामारी से पैदा हुए अवरोध के कारण हुआ। इसके साथ ही, जोखिम एवं लागत अनुबंधों को लागू करना एक जटिल प्रक्रिया है और संरचनात्मक दोषों, मध्यस्थता/कानूनी मामलों के हस्तक्षेप, निविदा के दौरान ठेकेदारों द्वारा पर्याप्त संख्या में भाग न लेना आदि के कारण परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। कार्य प्रगति और व्यय की गति को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। अगले वित्तीय वर्ष के लिए निधियों की मांग अधिक सावधानीपूर्वक वास्तविक जांच के बाद की जाएगी ताकि अंतिम चरण में निधियों को वापस न करना पड़े।"

20. अपनी मूल रिपोर्ट में, समिति ने सिफारिश की थी कि मंत्रालय को किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में विभिन्न स्टेशनों में विवाहित आवास के निर्माण के लिए आवंटित निधि का पूर्ण उपयोग करने के लिए सख्त समय सीमा के साथ एक व्यय-तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि निधि को अंत में वापस न करना पड़े। समिति इस तथ्य से बेखबर नहीं है कि निधियों का समर्पण व्यय के संबंध में वित्तीय सत्यनिष्ठा में एक सही प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है। हालांकि, की-गई-

कार्रवाई उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि 31 मार्च 2022 तक अनुमानित 195 करोड़ रुपये में से केवल 128 करोड़ रुपये खर्च किए जा सके। जैसा कि उनके द्वारा बताया गया, व्यय में देरी का मुख्य कारण कोविड महामारी है। मंत्रालय ने जोखिम और लागत अनुबंधों संबंधी प्रक्रिया पूरी करना, मध्यस्थता/कानूनी मामले, निविदा के दौरान ठेकेदारों द्वारा पर्याप्त संख्या में भाग न लेना आदि जैसे अन्य कारणों का भी उल्लेख किया है। इस संबंध में समिति अपनी इस सिफारिश को दोहराती है कि धन एक दुर्लभ संसाधन है और इसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए वह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अंतिम चरण में निधि वापस करने से बचने के लिए अधिक व्यावहारिक आकलन करना चाहिए। वह संक्षेप में यह भी जानना चाहती है कि निविदा प्रक्रिया के दौरान ठेकेदारों की प्रतिक्रिया असंतोषजनक क्यों थी। उत्तर के आधार पर, वह भविष्य में कभी समग्रता से निविदा प्रक्रियाओं की समीक्षा कर सकती है।

अध्याय - दो

क. टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (पैरा संख्या 1)

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से समिति पाती है कि रक्षा सेवाओं हेतु पूंजीगत परिव्यय में तीनों सेवाओं और अन्य विभागों के लिए भूमि और निर्माण कार्यों हेतु आवंटन किया जाता है। अन्य शब्दों में रक्षा सेवाओं अर्थात थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, रक्षा आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) गुणता आश्वासन महानिदेशक (डीजीक्यूए), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), विवाहित आवास परियोजना, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय - राइफल्स आदि हेतु स्थाई आस्तियों हेतु व्यय किया जाता है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान रक्षा मंत्रालय हेतु अनुमान 3,47,088.29 करोड़ रुपये की तुलना में राजस्व और पूंजीगत सहित आवंटन 3,68,418.13 करोड़ रुपये था और दिसम्बर, 2021 तक वास्तविक व्यय मात्र 2,66,558.69 करोड़ रुपये था । समिति, रक्षा मंत्रालय द्वारा निधियों के वास्तविक व्यय के उपयोग की प्रवृति जो विगत कुछ वर्षों के दौरान, वर्ष 2020-21 को छोड़कर बजटीय आवंटन से अधिक रही है, को ध्यान में रखते हुए आशा करती हैं कि मंत्रालय वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 तक की समय सीमा में शेष अप्रयुक्त राशि 101,860 करोड़ रुपये के उपभोग हेतु समुचित उपाय करेगा ताकि भूमि, भवन और अन्य अवसंरचनात्मक कार्यों सहित नवीनतम हथियार प्रणालियों, विमानों, पोतों, टैंको तथा अन्य पूंजी सघन परियोजनाओं की अधिप्राप्ति की जा सके जिससे यह सुनिश्चित हो कि वर्ष के अंत में निधियां वापस न लौटाई जाएं।

सरकार का उत्तर

बजट प्राक्कलन 2021-22 में, 3,47,088.28 करोड़ रुपए की धनराशि (राजस्व (निवल) और पूंजी शीर्ष दोनों सहित) रक्षा सेवाओं के लिए आबंटित की गई है । यह धनराशि संशोधित अनुमान 2021-22 में 21,324.90 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,68,418.13 करोड़ रुपए कर दी गई थी। उक्त आबंटन की तुलना में, मार्च (अंतिम) के अनुसार (दिनांक 13.05.2022 की स्थिति के अनुसार) 3,66,560.00 करोड़ रुपए (99.50%) की धनराशि व्यय की गई है ।

सिफारिश (पैरा संख्या 2)

समिति नोट करती है कि रक्षा मंत्रालय को 2021-22 के पूंजीगत बजट के तहत 1,38,850.90 करोड़ रुपये के कुल आवंटन की तुलना में 2022-23 में 1,52,369.61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। इसमें से पूंजीगत अधिप्राप्ति शीर्ष के तहत मंत्रालय को 1,24,408.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे; तीनों सेवाओं संबंधी भूमि और कार्यों (विवाहित आवास परियोजना सहित) 12,149.16 करोड़ रुपये; डीआरडीओ, डीजीओएफ और अन्य रक्षा विभागों को 15,811.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि रक्षा मंत्रालय का कुल बजट जो 2021-22 में 4,78,196.62 करोड़ रुपये था बढ़कर 5,25,166.16 करोड़ रुपये हो गया।

सरकार का उत्तर

यह तथ्यपरक सूचना है और मंत्रालय को कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

सिफारिश (पैरा संख्या 3)

समिति नोट करती है कि 2022-23 में पूंजीगत शीर्ष के तहत 2,15,995.43 करोड़ रुपये की मांग की तुलना में आवंटन 1,52,369.61 करोड़ रुपये था। समिति पाती है कि यद्यपि गत वर्षों की तुलना में आवंटन में वृद्धि हुई है परन्तु यह मंत्रालय के अनुमान के अनुरूप नहीं था। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमानित राशि में कटौती ना किए जाने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करे क्योंकि ऐसी स्थिति में योजनाओं/कार्यों की प्राथमिकता पुनः निर्धारित करनी पड़ती है जिसके परिणामस्वरूप रक्षा सेवाओं की परिचालनात्मक तैयारी से समझौता करना पड़ता है। समिति की इच्छा है कि मंत्रालय को अनुपूरक अनुदानों/संशोधित अनुमान चरण में अतिरिक्त अनुदानों हेतु अनुरोध करना चाहिए यदि बी.ई. चरण में निधियों की कमी के कारण योजनाएं/परियोजनाएं प्रभावित होती है, क्योंकि पूंजीगत बजट का उपयोग आधुनिक युद्ध प्रणालियों की खरीद और विकास में किया जाता है जो हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं में वर्तमान खतरों से निपटने हेतु आवश्यक है।

सरकार का उत्तर

यह मंत्रालय सेनाओं द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं को वित्त मंत्रालय के समक्ष अनुकूल विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय के साथ बजट पूर्व बैठक में विचार-विमर्श के दौरान सेनाओं द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं के विस्तृत कारणों का औचित्य सिद्ध किया गया था/स्पष्ट किया गया था। निधियों का आबंटन करते समय वित्त मंत्रालय सेनाओं की पूर्व

समावेशन क्षमता, चालू वित्त वर्ष में व्यय की गति, उपलब्ध समग्र संसाधन आवरण और अन्य पक्षों द्वारा मांगों इत्यादि का विश्लेषण करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई समग्र सीमाओं के आधार पर रक्षा मंत्रालय सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधीन संगठनों के बीच निधियों का आबंटन करता है जिसमें अंतर सेवा प्राथमिकताओं, व्यय की गति, लंबित प्रतिबद्ध देयताओं इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है।

2. तथापि, समिति को आश्वस्त किया जाता है कि सेना द्वारा अनुपूरक/संशोधित अनुमान चरण में अनुमानित अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि रक्षा सेनाओं की प्रचालन तैयारी से कोई समझौता किए बिना तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमताओं को प्राप्त किया जाए। इसके अलावा, आबंटित निधियों का इष्टतम उपयोग कार्यात्मक आवश्यकताओं/कार्यकलापों के लिए किया जाएगा।

सिफारिश (पैरा संख्या 4)

<u>तीनों सेवाओं हेतु अनुमान और आवंटन</u>

समिति ने देखा कि 2016-17 से तीनों सेवाओं में से किसी को भी मंत्रालय द्वारा बी.ई. या आर.ई. चरण में मांगी गई राशि, जिसका मंत्रालय द्वारा अनुमान लगाया गया था, आवंटित नहीं की गई है। थल सेना हेतु 2016-17 में आर.ई. आंकड़ों में अंतर 10,472.04 करोड़ रुपये था। यह 2021-22 में बढ़कर 12,967.81 करोड़ रुपये हो गया था। आर.ई. चरण 2016-17 में नौसेना हेतु अंतर 2933.76 करोड़ रुपये था जो 2021-22 में बढ़ कर 3,989.84 करोड़ रुपये हो गया था। वायु सेना के संबंध में 2014-15 में अंतर 8,273.09 करोड़ रुपये था जो 2020-21 आर.ई. चरण में बढ़ कर 17,961.62 करोड़ रुपये हो गया था। समिति यह भी पाती है कि 2022-23 में बी.ई. चरण में अनुमान और आवंटन बजट में अंतर थल सेना, नौसेना और वायु सेना के संबंध में क्रमशः 14,729.11 करोड़ रुपये 20,031.97 करोड़ रुपये और 28,471.05 करोड़ रुपये था जो काफी अधिक है। समिति का मत है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ विशेषकर सीमा में वर्तमान में अत्याधिक तनाव को देखते हुए, पूंजीगत सघन आधुनिक उपकरणों जो युद्ध के परिणाम हमारे अनुकूल बनाने के लिए अत्यावश्यक हैं और हमारे देश की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हेतु भी आवश्यक है, की खरीद जिससे कि हमारी सेना उनके बराबर या उनसे भी बेहतर हो, के लिए यह स्थिति अनुकूल नहीं है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना हेतु अनुमानों की तुलना में आवंटन में अत्यधिक कमी की प्रवृत्ति को देखते हुए समिति सिफारिश करती है कि आने वाले वर्षों के दौरान किसी भी सेवाओं की मांगों की पूंजीगत शीर्ष के तहत बजट आवंटित करते समय मंत्रालय को कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि 2022-23 के दौरान मंत्रालय तीनों बलों की प्रचालनात्मक तैयारी को

देखते हुए संशोधित अनुमान चरण में और अनुपूरक अनुदानों के समय भी आवंटन में वृद्धि करने हेतु उपाय करे।

सरकार का उत्तर

यह मंत्रालय सेनाओं द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं को वित्त मंत्रालय के समक्ष अनुकूल विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत करता है। बजट पूर्व बैठक के दौरान विचार-विमर्श में सेनाओं द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं के विस्तृत कारणों का औचित्य सिद्ध किया गया था/स्पष्ट किया गया था। निधियों का आबंटन करते समय वित्त मंत्रालय सेनाओं की पूर्व समावेशन क्षमता, मौजूदा वित्त वर्ष में व्यय की गति, उपलब्ध समग्र संसाधन आवरण और अन्य पक्षो द्वारा की गई मांगों इत्यादि का विश्लेषण करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई समग्र सीमाओं के आधार पर रक्षा मंत्रालय सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधीन संगठनों के बीच निधियों का आबंटन करता है जिसमें अंतर सेवा प्राथमिकताओं, व्यय की गति, लंबित प्रतिबद्ध देयताओं इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है।

2. तथापि समिति को आश्वस्त किया जाता है कि सेना द्वारा पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत अनुपूरक/संशोधित अनुमान चरण में अनुमानित अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, आवंटित निधियों का संचालानात्मक आवश्यकता/क्रियाकलापों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाएगा। आवश्यकता होने पर, योजना को यह सुनिश्चित करने के लिए पुनर्विनियोजित किया जाएगा कि तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमताओं को प्रचालनात्मक तैयारी से कोई समझौता किए बिना प्राप्त किया जाए।

सिफारिश (पैरा संख्या 5)

<u>अतिरिक्त आबंटन</u>

समिति नोट करती है कि 2021-22 के दौरान तीनों सेवाओं द्वारा मांगी गई अतिरिक्त आबंटन पूंजीगत शीर्ष के तहत पृथक रूप से थल सेना हेतु 1,813.00 करोड़ रूपये, नौसेना हेतु 16,757.83 करोड़ रूपये और वायुसेना हेतु 17,961.62 करोड़ रूपये थी जिसके पश्चात आरई चरण में कुल आबंटन थल सेना हेतु 25,377.09 करोड़ रूपये, नौसेना हेतु 46,021.54 करोड़ रूपये और वायुसेना हेतु 53,214.77 करोड़ रूपये था । समिति का मत है कि मंत्रालय सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करे कि निधियों का अतिरिक्त आबंटन तीनों सेवाओं को किया जाए, क्योंकि सर्वाधिक प्राथमिकता रक्षा सेनाओं की तैयारी को दिया जाना चाहिए और तीनों सेवाओं की महत्वपूर्ण परियोजनाओं और प्रचालनात्मक कार्यों हेतु उपयोग किया जाना चाहिए । समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय आबंटित निधियों का प्रथम दो तिमाही में ही

समय से उपयोग हेतु उपाय करे ताकि अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का समय रहते निर्धारण किया जा सके और वित्त मंत्रालय से अनुपूरक अनुदान चरण में अनुमोदन प्राप्त किया जा सके ।

सरकार का उत्तर

उपर्युक्त आंकड़े पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत संशोधित अनुमान 2021-22 के आबंटनों को दर्शाता है । वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मार्च (पूर्व), 2022 के अनुसार आरई/एमए आबंटनों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(रूपय करोड़ में)

सेवा	आरई	एमए	व्यय
थल सेना	25,377.09	25,177.09	25,130.63
नौ सेना	46,021.54	45,767.87	45,040.21
वायु सेना	53,214.77	53,214.77	53,216.74

सारणी से यह पता चलता है कि सेनाएं आबंटित निधियों का उपयोग करने में सक्षम हुई हैं ।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उचित स्तर पर व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सेनाओं द्वारा अनुपूरक/आरई स्तर पर अनुमानित अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, समिति को आश्वस्त किया जाता है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं और तत्काल क्रियाकलापों को रक्षा सेनाओं की प्रचालनात्मक तैयारी के साथ कोई समझौता किए बिना पूरा किया जाता हैं।

सिफारिश (पैरा संख्या 6)

<u>रक्षा सेनाओं का आधुनिकीकरण</u>

समिति ने देखा कि रक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण में नवीनतम प्रणालियों, प्रौद्योगिकीयों और हथियार प्रणालियों की खरीद शामिल है ताकि रक्षा क्षमताओं को उन्नत और बेहतर की जा सके जो एक सतत प्रक्रिया है जो खतरों की आशंका, प्रचालनात्मक आवश्यकताओं और प्रौद्योगिकीय बदलाव पर निर्भर है जिससे कि सुरक्षा संबंधी सभी चुनौतियों से निपटने हेतु सशस्त्र सेनाओं को तैयार रखा जा सके । मंत्रालय के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए

सरकार सर्वाधिक प्राथमिकता देती है कि किसी भी प्रचानात्मक आवश्यकता से निपटने के लिए सशस्त्र सेनाओं प्रयाप्त रूप से सुसज्जित हो और ऐसा नए उपकरणों और क्षमता के प्रौद्योगिकीय उन्नयन द्वारा किया जाता है। सशस्त्र बलों के उपकरणों की आवश्यकताओं के लिए योजना बनाई जाती है जिसकी एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें 15 वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीआईपीपी), पांच वर्षीय सेवा-वार क्षमता अधिग्रहण योजना, दो वर्षीय 'रोल-ऑन' वार्षिक अधिग्रहण योजना तथा रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा विचार-विमर्श शामिल है। समिति ने पाया कि 2017-18 से पूंजी अधिग्रहण हेतु आधुनिकीकरण पर बीई आरई और एई के अवलोकन से पता चलता है कि किया गया वास्तविक व्यय कुलमिलाकर आरई चरण के पश्चात भी आवंटित निधि से अधिक है। हालांकि मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2021 तक 2021-22 में बीई 1,13,717.59 करोड़ रुपये में से 75,194.31 करोड़ रुपये उपयोग किए हैं, समिति आशा करती है कि मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक इस शीर्ष के तहत निधियों के पूर्ण उपयोग के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा । समिति नोट करती है कि नए उपकरणों की खरीद और वर्तमान उपकरणों और प्रणालियों के उन्नयन के द्वारा सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो अनुमोदित पूंजी अधिग्रहण योजनाओं के तहत किया जाता है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि आधुनिकीकरण प्रयोजन हेतु पूंजीगत शीर्ष के तहत अधिक और आवश्यक बजटीय आवंटन किया जाए ताकि निधियों की कमी की बाधा के बिना खरीद और उन्नयन प्रक्रिया पूरी की जा सके।

सरकार का उत्तर

वित्त वर्ष 2021-22 में, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के पूंजी अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) खण्ड के तहत संशोधित अनुमान 2021-22 के 1,13,717.59 करोड़ रुपए की आवंटन की तुलना में 1,13,780.99 करोड़ रुपए [मार्च (प्रारंभ), 2022 के अनुसार] की बुकिंग की गई है। बजट प्राक्कलन 2022-23 में, पूंजी अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) खंड के तहत 1,24,408.64 करोड़ रुपए की धनराशि (अर्थात बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में 12,945.43 करोड़ रुपए की वृद्धि) का आवंटन किया गया है । तथापि, समिति को आश्वस्त किया जा सकता है कि आधुनिकीकरण प्रयोजन के लिए पूंजीशीर्ष के तहत पूरक / संशोधित अनुमान चरण पर सेवाओं द्वारा अनुमानित अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे ताकि खरीद और उन्नयन प्रक्रियाएं यथानियोजित ढंग से चलाई जा सकें । इसके अलावा, आबंटित निधियों का कार्यात्मक आवश्यकताओं/ क्रियाकलापों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाएगा । आवश्यकता होने पर, योजनाओं को पुनः प्राथमिकता प्रदान की जाएगी सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रचलनात्मक तैयारी में किसी भी प्रकार के समझौते के बिना तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताओं का अधिग्रहण किया जा सके।

पूंजी अधिग्रहण के लिए आवंटित बजट का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए मंत्रालय में आवश्यक उपाय किए गए हैं । मार्च, 2022 तक घरेलू और विदेशी मदों पर किए व्यय के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सं.अनु 2021-22			उपयोग में लाई गई सं. अनु.		उपयोग में लाई गई संशोधित अनु. का प्रतिशत	
कुल	घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
1,13717.58	72881.59	40835.99	74112.04	39651.02	101.69	97.10

सिफारिश (पैरा संख्या 7)

<u>प्रतिबद्ध देयताएं और नई योजनाएं</u>

समिति को बताया गया कि प्रतिबद्ध देयताएं का तात्पर्य - पूर्व वर्षों के दौरान की गई संविदाओं के संबंध में वित्त वर्ष के दौरान किया जाने वाला भुगतान होता है। रक्षा सेवा अनुमानों के तहत प्रतिबद्ध देयताएं पूंजीगत खरीद खंड में एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि एक परियोजना कुछ वित्त वर्षों तक जारी रह सकती है। अतः प्रतिबद्ध देयताओं के तत्व का पता लगाना महत्वपूर्ण है जो बजट आवंटन में प्रथम चार्ज होता है और प्रतिबद्ध देयताओं हेतु अपर्याप्त आवंटन निश्चय ही संविदात्मक दायित्वों हेतु 'चूक की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। नई योजनाओं में नई परियोजनाएं/प्रस्ताव शामिल हैं जो अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं और जिन्हें निकट भविष्य में लागू किए जाने की संभावना है। समिति ने देखा कि वर्तमान में रक्षा सेवाओं अनुमानों के तहत प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं हेतु निधियाँ का पृथक आवंटन नहीं किया जाता है तथा इस हेतु निधियों पूंजीगत अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) शीर्ष के तहत आवंटित की जाती हैं। समिति ने पाया कि प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं हेतु 2022-23 में बी.ई आवंटन 1,24,408.64 करोड़ रुपये था, जबकि बी.ई अनुमान 1,77,958.63 करोड़ रुपये है । थल सेना हेतु 2021-22 आर.ई. आवंटन 30,636.90 करोड़ रुपये की तुलना में 19,485.09 करोड़ रुपये है; नौसेना हेतु 47,414.33 करोड़ रुपये की तुलना में 43,736.02 करोड़ रुपये है और संयुक्त स्टाफ हेतु 405.71 करोड़ रुपये के अनुमान के अनुसार यह 405.71 करोड़ रुपये है। वायु सेना के लिए 67,169.42 करोड़ रुपये के आर.ई अनुमान की तुलना में आर.ई आवंटन 50,090.77 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमता का अधिग्रहण रक्षा सेवाओं की प्रचालनात्मक तैयारी से समझौता किए बिना किया जाए। समिति इसे तीनों सेवाओं विशेषकर थल सेना जो एक पूंजी सघन सेना है, हेतु आरई 2021-22 के तहत वास्तविक रूप से आवंटित निधियों के मद्देनजर

विरोधाभासी पाती है। पूंजी अधिग्रहण कोष में आवंटन संबंधी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए समिति ने अपने 7वें और 21वें प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि रक्षा मंत्रालय प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं हेतु एक समर्पित कोष स्थापित करे। चूंकि समिति द्वारा इस बारे में कोई प्रगति नहीं पाई गई है, अतः समिति पुनः सिफारिश करती है कि आगामी बजट से प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं हेतु एक पृथक समर्पित शीर्ष सृजित करें ताकि पूर्व में खरीद हेतु प्रतिबद्धता के लिए समय से भुगतान में परेशानी ना हो जिससे कि नई योजनाओं के तहत नवीनतम हथियारों की खरीद की जा सके ।

सरकार का उत्तर

रक्षा सेना प्राक्कलनों के अन्तर्गत प्रतिबद्ध देयताओं (सीएल) से तात्पर्य पहले से पूरी की गई संविदाओं के मानदंड़ों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वानुमानित भुगतान है। नई योजनाओं (एनएस) में नई परियोजनाएं / प्रस्ताव सम्मिलित है जो अनुमोदन के विभिन्न स्तरों पर हैं और उनकी निकट भविष्य में क्रियान्वित किए जाने की संभावना है । नई योजनाओं के क्रार्यान्वित होने के बाद वे वचनबद्ध देयताओं का भाग बन जाती हैं और उनके लिए व्यय पूंजीगत अधिग्रहण शीर्ष के अन्तर्गत किया जाता है । प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं के लिए पृथक कोड शीर्ष तैयार करने के लिए समिति की सिफारिश को सेनाओं के समक्ष उठाया गया था जिसके बारे में सेनाओं के विचार निम्नवत हैं :-

(i) नई योजनाओं / प्रतिबद्ध देयताओं के लिए विशेष रूप से पृथक शीर्ष के तहत निधियों के आवंटन से निधियों के उपयोग की सुगमता सीमित होगी जिससे व्यय की गति में बाधा और संशाधनों के समय से उपयाग में बाधा आएगी।

(ii) किसी विशेष वर्ष के लिए नई योजनाओं हेतु किए गए अनुमान प्राक्कलन होते हैं जो संविदा को अंतिम रूप देने में शामिल विभिन्न स्तरों के कारण वर्ष के दौरान फलीभूत हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं । इसी प्रकार प्रतिबद्ध देयताएं की तुलना में लिए नियोजित राशि अनुमानों पर आधारित होती है जो उन लक्ष्यों पर निर्भर है जिन्हें संविदानुसार प्राप्त किए जाने की संभावना है। ये मानदंड स्लिपेजेज से प्रभावित हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप सीएल की आवश्यकता को आगामी वर्ष/अनुवर्ती वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

(iii) प्रत्येक विद्यमान प्रतिबद्ध देयता पूर्व में एक नई योजना रही थी और प्रत्येक नई योजना प्रतिबद्ध देयता के रूप में परिवर्तित हो जाएगी । इसलिए प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं के लिए पृथक शीर्ष प्रारंभ करने के लिए स्वीकृत कोड शीर्ष में संशोधन की आवश्यकता तब होगी जब नई योजना बाद में

प्रतिबद्ध देयता बन जाएगी । कोड शीर्षों में प्रायः संशोधन से लेखा संबंधी जटिलताएं और योजनागत समस्याएं पैदा हो सकती हैं ।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति पूंजीगत अधिग्रहण के अन्तर्गत प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं के बीच ईयरमार्किंग की विद्यमान प्रणाली को जारी रखने पर विचार कर सकती है जैसा कि सेना मुख्यालयों द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है ।

"गैर-व्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष - रक्षा नवीकरणीय कोष"

सिफारिश (पैरा संख्या 8)

समिति ने अपने पूर्व के प्रतिवेदनों में सिफारिश की थी कि पूंजीगत बजट को 'गैर-व्यपगत' और 'रोल-ऑन' प्रकृति का बनाया जाए। मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को बताया गया कि गैर व्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष हेतु एक कैबिनेट नोट विचारधीन है । समिति ने नोट किया कि 2020-21 में 3,43,822.00 करोड़ रुपये के कुल बजटीय आवंटन में से मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2020 तक मात्र 2,33,176.70 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। चूंकि दिसंबर, 2021 तक वर्ष 2021-22 में 1,13,717.59 करोड़ रुपये के बजट अनुमान में से लगभग **75,194.31** करोड़ रुपये का उपयोग हुआ हैं, समिति अपेक्षा करती है कि वित्त वर्ष **2021-22** के अंत तक इस शीर्ष के तहत मंत्रालय द्वारा निधियों के पूर्ण उपयोग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।"

सरकार का उत्तर

एक अव्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण निधि के सृजन हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । वित्त मंत्रालय से परामर्श करके निधि को प्रचालनरत करने के लिए समुचित तंत्र तैयार किया जा रहा है ।

<u>रक्षा खरीद नीति</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 9)

समिति नोट करती है कि सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा उपकरणों की खरीद की नीति का उद्देश्य सैन्य उपकरणों, सिस्टम और प्लेटफार्मों की समय पर खरीद सुनिश्चित करना है, जैसा कि सशस्त्र सेनाओं द्वारा निष्पादन क्षमताओं और गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में आवंटित बजटीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से आवश्यक है। नीति यह भी सुनिश्चित करने का

प्रयास करती है कि नीति के प्रमुख उद्देश्य के रूप में रक्षा उपकरण उत्पादन और अधिग्रहण में आत्मनिर्भरता जिसे मेक-इन-इंडिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है के अतिरिक्त खरीद की प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की ईमानदारी, सरकारी जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समान अवसर प्रदान करना है। नीति रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) के तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। समिति ने यह भी पाया कि रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के रूप में संशोधित किया गया है जो कि आत्मानिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में घोषित रक्षा सुधारों के सिद्धांतों से प्रेरित है। रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने के लिए 'खरीदें {भारतीय-आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित)}' श्रेणी जिसे 2016 में शुरू किया गया था और कैपिटल उपकरणों की खरीद के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, को डीएपी 2020 में बनाए रखा गया है। समिति को यह भी बताया गया कि रक्षा मंत्रालय ने एक दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की है जिसमें 108 मदें शामिल हैं जिसके लिए आयात पर अंतरिम प्रतिबंध होगा। मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया था कि अंतिम रक्षा खरीद नियमावली (डीपीएम) 2016 में बनाई गई थी और वर्तमान में इसमें नवीनतम आदेशों और अन्य घटनाक्रमों को शामिल करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। समिति आशा व्यक्त करती है कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया पर संशोधित नियमावली न केवल समयबद्ध तरीके से हथियारों, गोला-बारूद और रक्षा उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया को तेज बनाएगी अपितु आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी। रक्षा मंत्रालय की नेक नीयति में विश्वास करने के बावजूद समिति सिफारिश करती है कि खरीद की प्रक्रिया में सभी हितधारकों जैसे कि मंत्रालय, डीपीएसयू, सशस्त्र सेना और निजी क्षेत्र के समेकित प्रयास रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं जिसके लिए मंत्रालय द्वारा उनमें से प्रत्येक से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

यह एक टिप्पणी है। समग्र रूप से रक्षा मंत्रालय रक्षा के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता के प्रति प्रतिबद्ध है।

सैन्य हार्डवेयर के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर बढ़ती निर्भरता

सिफारिश (पैरा संख्या 11)

समिति देश में हथियारों और उपकरणों के लगातार बढ़ते आयात पर अपनी चिंता व्यक्त करती है । हालांकि भारत दुनिया में हथियारों और उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक है, लेकिन

समिति ने पाया कि भारत के रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक होने की कोई प्रामाणिक और आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कोई भी देश आधिकारिक तौर पर रक्षा उपकरणों के आयात की जानकारी का खुलासा नहीं करता है । हालांकि, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में, भारत को वर्ष 2014-19 के लिए रक्षा उपकरणों के दूसरे सबसे बड़े आयातक के रूप में दिखाया गया है । समिति ने 'अनुदानों की मांगों 2021-22' पर अपने इक्कीसवें प्रतिवेदन में बताया है कि 2012-16 की अवधि के दौरान भारत को रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक बताया गया था । समिति रक्षा उपकरणों के आयात को कम करके इस दिशा में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करती है जो कि आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के लक्ष्य की दिशा में एक कदम है जो एसआईपीआरआई प्रतिवेदन से स्पष्ट है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रक्षा उपकरणों की कैपिटल खरीद खतरे की आशंका, परिचालनात्मक चुनौतियों और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के आधार पर विभिन्न घरेलू और साथ ही विदेशी विक्रेताओं से रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) के अनुसार की जाती है ताकि सशस्त्र सेनाओं को संपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखा जा सके, समिति अपेक्षा करती है कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने पर बढ़ते ध्यान के साथ, रक्षा उपकरणों के आयात में और गिरावट आएगी ।

सरकार का उत्तर

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पर दिए गए आह्वान को समर्थन देते हुए, भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय स्वदेशी सूत्रों से अधिप्राप्ति को प्रोत्साहन दे रहा है । पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान लगभग 3,54,756 करोड़ रुपए की 207 एओएन प्रदान की गई थी । इनमें से 2,75,540 करोड़ रुपए की 207 एओएन (78%) को भारतीय उद्योग वर्गीकरण है । इसी अवधि के लिए अर्थात पिछले पांच वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 से संविदा का लगभग 65% भारतीय उद्योग के साथ हस्ताक्षर किया गया है ।

आगे, घरेलू पूंजी अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 में घरेलू पूंजी अधिप्राप्ति के लिए 71,438 करोड़ रुपए (कुल पूंजी बजट का 64.09%) प्रदान किया था, जिसे वर्ष 2022-23 में घरेलू पूंजी अधिप्राप्ति के लिए बढ़ाकर 84,597 करोड़ रुपए (कुल पूंजी अर्जन बजट का 68%) बढ़ा दिया गया है ।

<u>आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 13)

समिति नोट करती है कि रक्षा खरीद प्रक्रिया में पूंजी अधिग्रहण के प्रस्तावों को रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'बाय (ग्लोबल)' की तुलना में 'बाय इंडियन - आईडीडीएम)', बाय (इंडियन), बाय एंड मेक (इंडियन) एंड 'बाय एंड मेक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने अपने आधुनिकीकरण कोष का लगभग 64 प्रतिशत 71,400 करोड़ रुपये घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए 2021-22 के पूंजी अधिग्रहण बजट के तहत रखा है। समिति आगे नोट करती है कि 2020-21 में स्वदेशी उत्पादन का मूल्य जो 84,643 करोड़ रुपये था, वह घटकर 34,384 करोड़ रुपये (25 जनवरी, 2022 तक) हो गया है और कोविड-19 महामारी को इसका कारण बताया जा रहा है। चूंकि पूंजी अधिग्रहण बजट का एक बड़ा हिस्सा घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए निर्धारित किया गया है, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष 2021-22 में पूर्ण आवंटित धन का उपयोग करने के लिए और अधिक प्रभावशाली तरीके तलाशने चाहिए। समिति 2021-22 में घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित 71,400 करोड़ रुपये में से कुल उपयोग और इस प्रयोजन हेतु 2022-23 में आवंटित धन की राशि से भी अवगत होना चाहती है। समिति आगे चाहती है कि मंत्रालय को सशस्त्र सेनाओं, डीपीएसयू और निजी क्षेत्र के बीच उचित समन्वय स्थापित करने के लिए पुरजोर प्रयास करना चाहिए ताकि मेक इन इंडिया श्रेणियों के तहत उत्पादन में वृद्धि हो सके।

सरकार का उत्तर

आवंटित बजट का इष्टतम उपयोग करने के लिए पूंजी अधिग्रहण स्कीम की योजना बनाई जाती है और प्राथमिकता दी जाती है। पूंजी अधिग्रहण के लिए आबंटित बजट का पूर्ण उपयोग करने के लिए मंत्रालय में आवश्यक उपाय किए जाते हैं। घरेलू पूंजीगत खरीद को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने 2021-22 में घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 71,438 करोड़ रुपये (कुल पूंजीगत बजट का 64.09 प्रतिशत) की राशि निर्धारित की, जिसे मार्च, 2022 तक घरेलू और विदेशी मदों के लिए बढ़ाकर 84,597 करोड़ रुपये (कुल पूंजी अधिग्रहण बजट का 68 प्रतिशत) कर दिया गया है, इसका विवरण इस प्रकार से है:

मार्च 22 तक का संचयी व्यय			
सेवाएँ	**घरेलू**		
	प्राइवेट	**पीएसयूओएफबी/**	**कुल**
थल सेना	3874.89	13367.72	17242.61
नौसेना	3193.12	23707.73	26900.85
वायु सेना	2725.97	27242.61	29968.58
कुल	**9793.98**	**64318.06**	**74112.04**

ऑफसेट क्लॉज

सिफारिश (पैरा संख्या 15)

समिति ने नोट किया कि केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) में रक्षा पूंजी अधिग्रहण के तहत ऑफसेट को 2005 में शुरू किया गया था और डीपीपी के तहत तैयार किए गए ऑफसेट दिशानिर्देशों में 6 बार संशोधन किया गया है । रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी 2020) के अनुसार ऑफसेट प्रावधान केवल पूंजी अधिग्रहण की "बाय ग्लोबल" श्रेणियों पर लागू होते हैं। वे पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों में लागू होते हैं जो 2,000 करोड़ रुपए से अधिक हैं। हालांकि, यदि मूल अनुबंध में इसकी परिकल्पना नहीं की गई हो तो ऑफसेट "फास्ट ट्रैक प्रक्रिया" और "विकल्प खंड" मामलों के तहत खरीद पर लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर-सरकारी समझौतों/विदेशों सैन्य बिक्री (आईजीए/एफएमएस) पर आधारित खरीद सहित सभी गैर-प्रारंभिक एकल विक्रेता मामलों में की ऑफसेट लागू नहीं होगा और यदि घटक 30 प्रतिशत या इससे अधिक है तो स्वदेशीकरण के मामले में 'बाय ग्लोबल' मामलों के तहत भारतीय कंपनियों पर ऑफसेट लागू नहीं होता है। समिति यह भी नोट करती है कि ऑफसेट अनुबंध मुख्य अनुबंध के साथ समाप्त होते हैं और सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (सीएफए) के अनुमोदन के बाद मुख्य खरीद अनुबंध के साथ हस्ताक्षरित होते हैं और ऑफसेट डिस्चार्ज की अवधि को असाधारण आधार पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त डीएपी ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन के लिए योग्य उत्पादों/सेवाओं को निर्धारित करता है जिसमें रक्षा उत्पादों और हेलीकॉप्टरों और विमानों से संबंधित रखरखाव, मरम्मत और संचालन (एमआरओ) शामिल हैं। हालांकि ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्य विक्रेता पर होती है। हालांकि, विक्रेता को अपने कार्य के हिस्से के आधार पर टियर-1 उप-विक्रेताओं के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अनुमति है। निवेश और/या प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के मामले में मामले के आधार पर विक्रेता/टियर-I उप विक्रेता के अधिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा ऑफसेट निर्वहन की अनुमति दी जा सकती है और विक्रेता डीपीएसयू ओएफबी/डीआरडीओ/निजी उद्योग से अपने भारतीय ऑफसेट पार्टनर (आईओपी) का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑफसेट नीति विक्रेताओं नीति विक्रेताओं को अनुबंध पर

हस्ताक्षर करने के बाद, अर्थात या तो ऑफसेट क्रेडिट मांगने के समय या ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन से एक वर्ष पहले, बाद के चरण में ऑफसेट विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देती है ।

सरकार का उत्तर

नोट कर लिया गया है।

सिफारिश (पैरा संख्या 16)

समिति को अवगत कराया गया है कि आज की तिथि अनुसार रक्षा मंत्रालय में कुल 57 रक्षा ऑफसेट अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2008-2033 की अवधि में कुल ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन लगभग 13.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। कुल अनुबंधित दायित्वों में से 4.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर विक्रेताओं द्वारा अदा किए गए हैं, जिनमें से 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर लेखापरीक्षा में स्वीकर किए गए हैं और शेष दावे स्पष्टीकरण/जांच के अधीन हैं। समिति, कुल ऑफसेट दायित्वों को कम करने में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए यह आशा व्यक्त करती है कि रक्षा मंत्रालय स्पष्टीकरण/परीक्षा के अंतर्गत शेष दावों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए उचित कदम उठाएगा, जिसके परिणामस्वरूप रक्षा औद्योगिक आधार और मजबूत होगा।

सरकार का उत्तर

नोट कर लिया गया है।

सिफारिश (पैरा संख्या 17)

इस बात पर संतोष व्यक्त करते हुए कि रक्षा ऑफसेट मॉनिटरिंग विंग प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, समिति मंत्रालय को अधिक सतर्क और पारदर्शी बनने की सिफारिश करती है क्योंकि ऑफसेट का दायरा 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपय या उससे अधिक कर दिया गया है। समिति यह चाहती है कि मंत्रालय 30 प्रतिशत दायित्व का निर्वहन करते हुए कुछ आयात स्थानापन्न उत्पाद उद्योग स्थापित करने का प्रयास करे।

सरकार का उत्तर

रक्षा ऑफसेट के माध्यम से आयात विकल्प उत्पाद उद्योग आधारित ढांचे की स्थापना करने की दिशा में, डीएपी 2020 में निम्नलिखित पहल शामिल की गई है:-

(i) दिशानिर्देशों में निवेश और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए समर्थकारी प्रावधानों पर बल दिया जाना चाहिए ।

(ii) इससे घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता वृद्धि और 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है।

(iii) रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर सहित रक्षा विनिर्माण में निवेश एफडीआई के माध्यम से हो सकता है।

(iv) ऑफसेट के माध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी आधारित निवेश सुनिश्चित करने के लिए पात्र रक्षा उत्पादों को सुव्यवस्थित किया गया है।

(v) भारतीय उद्योग/डीआरडीओ/ओएफबी/डीपीएसयू को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने और प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए उच्च गुणक प्रदान किए गए हैं।

(vi) घटकों की तुलना में रक्षा उत्पादों की खरीद को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(vii) निवेश को उच्च गुणकों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है।

(viii) मामले के आधार पर निवेश/प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए विक्रेता/टियर-1 उप-विक्रेता के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं के माध्यम से ऑफसेट दायित्वों का निर्हवन परिकल्पित किया गया है।

(ix) संविदा पर हस्ताक्षर करने के पश्चात भी बाद के चरण में उत्पादों और भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स (आईओपी) का विवरण देने में लचीलापन प्रदान करना।

(x) अधिक पारदर्शित, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऑफसेट पोर्टल के माध्यम से ऑफसेट दावों का एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण और सत्यापन करना।

(xi) आईओपी को जोड़े जाने का प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन और अनुमोदन करने की प्रक्रिया को शुरू से अंत तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा सुव्यवस्थित किया गया है । इसने ऑफसेट डिस्चार्ज प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बना दिया है ।

रक्षा आयोजना

पंचवर्षीय रक्षा योजनाएं

सिफारिश (पैरा संख्या 19)

समिति नोट करती है कि रक्षा पंचवर्षीय योजनाएं रक्षा मंत्री के परिचालनात्मक निर्देश, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना और वर्तमान खतरे के अनुरूप रक्षा क्षमताओं को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं। ये

योजनाएं नियोजित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिव्यय का अनुमान लगाने में सहायता करती हैं। समिति आगे नोट करती है कि इन पंचवर्षीय योजनाओं के तहत उपलब्ध बजट आवंटन के अंतर्गत परिचालनात्मक क्रियाकलापों को पूरा किया जाता है। आवंटित निधियों के इष्टतम और पूर्ण उपयोग के लिए योजनाओं की प्राथमिकता पुनर्निधारित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा सेनाओं की परिचालनात्मक संबंधी तैयारियों से कोई समझौता किए बिना तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताओं को प्राप्त किया जा सके ।

सरकार का उत्तर

यह एक तथ्यातमक विवरणी है और मंत्रालय की इस पर कोई टिप्पणी नहीं है।

सिफारिश (पैरा संख्या 20)

समिति नोट करती है कि रक्षा पंचवर्षीय योजनाएं वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को प्रस्तुत वार्षिक बजटीय प्रावधान तैयार करने में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है । समिति यह भी नोट करती है कि सरकार ने तेरहवीं रक्षा योजना (2017-2022) के तहत रक्षा मामलों के लिए व्यापक और एकीकृत योजना की सुविधा के लिए एक रक्षा योजना समिति की स्थापना की है, जो रक्षा योजना से संबंधित सभी प्रासंगिक इनपुट का विश्लेषण और मूल्यांकन करती है जिसमें अन्य बातों के साथ, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा प्राथमिकताएं, विदेश नीति अनिवार्यताएं, परिचालन निर्देश और सुरक्षा संबंधी सिद्धांत, 15 वर्ष्ज़ की दीघकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीआईपीपी) सहित रक्षा अधिग्रहण और बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं, रक्षा प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं । समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 12वीं योजना रक्षा मंत्री द्वारा स्वीकृत की गई थी लेकिन इसे वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया । तथापि, समिति ने पाया कि रक्षा योजना को अनुमोदन नहीं मिलने से रक्षा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न नहीं हुई । समिति ने अपने पहले के प्रतिवेदनों में रक्षा मंत्रालय के लिए त्रुटिहीन बजट योजना और कार्यान्वयन के उपायों को अपनाने की सिफारिश की है । समिति, इस स्तर पर, आशा व्यक्त करती है कि मंत्रालय के केन्द्रित प्रयासों से नियोजित विभिन्न गतिविधियों का उचित और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा, जिसकी वार्षिक बजटीय आबंटन के अनुसार आगे बढ़ने की संभावना है और वित्त मंत्रालय द्वारा औपचारिक अनुमोदन के बिना भी 13वीं रक्षा योजना वार्षिक बजटीय अनुमान तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है ।

सरकार का उत्तर

समिति को आश्वासन दिया जाता है कि नियोजित गतिविधियां वार्षिक बजटीय आबंटनों के अनुसार शुरू की जाएंगी । आबंटित निधियों के इष्टतम और पूर्ण उपयोग के लिए स्कीमों को पुनः प्राथमिकीकृत किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताओं को रक्षा बलों की संक्रियात्मक तैयारी पर कोई समझौता किए बिना प्राप्त किया जाता है ।

सिफारिश (पैरा संख्या 21)

13वीं रक्षा योजना में 2017-18 से 2022-23 तक वर्षवार आबंटन के तहत बीई, आरई और वास्तविक व्यय के आंकड़ों को देखने के पश्चात, समिति ने पाया कि 2017-18 से 2019-20 तक मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय उसे आरई स्तर पर आबंटित राशि से अधिक था । 2020-21 में, व्यय बजटीय आबंटन से थोड़ा कम था अर्थात 3,43,822.00 करोड़ रूपये के कुल आबंटन की तुलना में 3,40,093.51 करोड़ रूपये का उपयोग किया गया । समिति समझती है कि कम उपयोग देश में कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न सेवाओं/संगठनों द्वारा किए गए कम व्यय के कारण हो सकता है । समिति ने आगे पाया कि 2021-22 में 3,47,088.28 करोड़ रूपये का अनुमान लगाया गया था, जिसकी तुलना में मंत्रालय को 3,68,418.13 करोड़ रूपये प्राप्त हुए थे और दिसंबर, 2021 तक 2,66,558.69 करोड़ रूपये का उपयोग किया गया । समिति आशा करती है कि रक्षा मंत्रालय के पुरजोर और समन्वित प्रयासों से, शेष निधि का उपयोग सभी सेवा विंगों द्वारा पूर्ण रूप से और वित्तीय वर्ष 2021-22 की समय सीमा के भीतर कर लिया जाएगा क्योंकि कोविड-19 महामारी से राहत है और अब मंत्रालय के पास उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के पर्याप्त अवसर हैं जो महामारी के दौरान अब तक बुरी तरह प्रभावित थे । समिति आशा व्यक्त करती है कि 2022-23 में अपनी वार्षिक योजना में मंत्रालय द्वारा दी गई अनुदान की बढ़ी हुई मांगों को वित्त मंत्रालय द्वारा कम नहीं किया जाएगा, विशेषकर जब रक्षा मंत्रालय पूरे आबंटित धन का उपयोग कर सकता है । समिति 2022-23 में मंत्रालय को उनके अनुमानों की तुलना में आबंटित राशि के आंकड़ों से अवगत होना चाहेगी ।

सरकार का उत्तर

बजट 2022-23 में 4,87,739.98 करोड़ रू. के अनुमान की तुलना में रक्षा सेवा अनुमानों के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय को 3,85,370.15 करोड़ रू. (अर्थात बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में 38,281.87 करोड़ रू. की वृद्धि) का आवंटन किया गया है।

2. तथापि समिति को आश्वस्त किया जाए कि सेनाओं द्वारा अनुपूरक/आरई स्तर पर अनुमानित अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कार्यात्मक आवश्यकताओं/क्रियाकलापों के लिए आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो, योजनाओं को महत्वपूर्ण और तत्काल क्षमताओं को रक्षा सेनाओं की संक्रियात्मक तैयारी में कोई समझौता किए बिना पुनः प्राथमिकत निर्धारण किया जाएगा ।

विवाहित आवास परियोजना (एमएपी)

सिफारिश (पैरा संख्या 23)

समिति ने पाया कि एमएपी के दूसरे चरण के तहत निर्माण के लिए स्वीकृत 69,904 आवासीय इकाइयों (डीयू) में से 9,903 आवासीय इकाई का निर्माण होना बाकी है। इसके अलावा, एमएपी के तहत तीसरे चरण में 71,102 आवासीय इकाईयों को मंजूरी दी गई थी, जिसे सैन्य अभियंता सेवा के तहत वार्षिक प्रमुख कार्य कार्यक्रम (एएमडब्ल्यूपी) के माध्यम से बंद कर दिया गया है। चरण-एक और चरण-तीन में पहले से हुए विलंब को ध्यान में रखते हुए, समिति अनुशंसा करती है कि चूंकि एएमडब्ल्यूपी द्वारा चरण-तीन के निर्माण के प्रस्ताव को पहले से ही मंजूरी दे दी गई है, मंत्रालय को ठोस रूप से आगे बढ़ना चाहिए और कार्य में तेजी लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए तथा शेष आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रारंभ करना तथा उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना चाहिए। समिति ने नोट किया कि मंत्रालय ने 2023 के अंत तक चरण-II को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है और उसे आशा है कि मंत्रालय उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और उन्हें पात्र कर्मियों को सौंप देगा।

सरकार का उत्तर

एमएपी के चरण-I और चरण-II में 1,98,881 आवासीय इकाइयों की कुल आवश्यकता में से 1,18,675 आवासीय इकाइयां (डीयू) पूरी की जा चुकी हैं। वर्तमान में एमएपी चरण-II की 9,785 आवासीय इकाइयां नियोजन एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं और संभावना है कि इन्हें दिसंबर 2023 तक पूरा कर दिया जाएगा। एमएपी चरण-II की 4401 डीयू को दिसंबर, 2022 तक पूरा करने की योजना है और शेष 5384 डीयू को दिसंबर 2023 तक पूरा करने की योजना है।

अध्याय - तीन

ख. टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए समिति और आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है

सिफारिश संख्या (पैरा संख्या 14)

अत्यधिक ठंड के मौसम में वस्त्र प्रणाली

समिति ने पाया कि अत्यधिक ठंड के मौसम में वस्त्र प्रणाली (ईसीडब्ल्यूसीएस) जो कि सियाचिन जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए तीन परत वाले कपड़े हैं । समिति नोट करती है कि इसकी खरीद वास्तविक परिचालन स्थितियों के तहत किए गए उपयोगकर्ता परीक्षणों के माध्यम से निर्धारित मद की प्रभावशीलता पर आधारित है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि खरीद केवल उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित स्रोतों से की जाए और डीजीक्यूए यह सुनिश्चित करता है कि आपूर्ति और उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित निर्धारित नमूने के बीच शून्य विचलन हो। इसके अतिरिक्त, उपयोग के दौरान गुणवत्ता पर उपयोगकर्ता की संतुष्टि की निगरानी समुचित रूप से संरचित प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है और उपयोग के दौरान किसी भी गुणवत्ता के मुद्दे के मामले में, उपयोगकर्ता सेना के आदेश 323/166 के अनुसार एक दोष रिपोर्ट दर्ज कर सकता है, जिसके आधार पर डीजीक्यूए द्वारा उपयोगकर्ता के दावों को स्थापित करने और दोष के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत तकनीकी जांच की जाती है । समिति यह याद दिलाना चाहेगी कि अपने 7वें और 21वें प्रतिवेदन में उन्होंने देश में ईसीडब्ल्यूसीएस के स्वदेशी उत्पादन की सिफारिश की है। समिति को यह जानकर खुशी हुई कि भारतीय निजी उद्योग अब भारत में ईसीडब्ल्यूसीएस की निर्माण करने में सक्षम है और इसकी खरीद पहले ही स्वदेशी आपूर्तिकर्ता से शुरू हो चुकी है। समिति मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करती है और आशा करती है कि मंत्रालय के निर्धारित प्रयासों से स्वदेशी रूप से निर्मित और खरीदी गई वस्तुओं की सूची में वृद्धि होगी।

सरकार का उत्तर

अधिकारप्राप्त समिति के तत्त्वावधान के तहत एमजीएस (एससीएमई) द्वारा ईसीडब्ल्यूसीएस की अधिप्राप्ति की जा रही है । पहले से ही, इन मदों की अधिप्राप्ति पूर्व आयातित तौर पर की गई थी। वर्ष 2022 में, एक भारतीय विक्रेता को अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा मंजूरी मिल गई थी और ईसीडब्ल्यूसीएस का एक आपूर्ति आदेश का सफलतापूर्वक

निष्पादन किया गया है । इसके अलावा, दीर्घावधि (05 वर्ष) वाली संविदाए प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं जिसमें भारतीय विक्रेता भागीदारी किए हैं:-

क्र.सं.	**मदें**	**भागीदार विक्रेता**	**वर्तमान स्थिति**
(क)	स्लीपिंग बैग्स (मात्रा-75000 सेट्स) संविदा अवधि-05 वर्ष	14 भारतीय विक्रेताओं ने भागीदारी की	उपयोगकर्ता परीक्षणों हेतु नमूना प्रस्तुत किया गया।
(ख)	जेडी टीडी (मात्रा-25000 सेट्स) संविदा अवधि-05 वर्ष	01 भारतीय विक्रेता ने भागीदारी की	उपयोगकर्ता परीक्षणों हेतु नमूना प्रस्तुत किया गया।
(ग)	ईसीडब्ल्यूसीएस (मात्रा-75000 सेट्स) संविदा अवधि-05 वर्ष	14 भारतीय विक्रेताओं ने भागीदारी की	उपयोगकर्ता परीक्षणों हेतु नमूना प्रस्तुत किया गया।
(घ)	वूलेन स्पेशल मोजे (दो परत वाले) (मात्रा-525000 सेट्स) संविदा अवधि-05 वर्ष	12 भारतीय विक्रेताओं ने भागीदारी की	उपयोगकर्ता परीक्षणों हेतु नमूना प्रस्तुत किया गया।
(ङ)	ग्लव्स आउटर एंड ग्लव्स इनर (मात्रा-75000 सेट्स) संविदा अवधि-05 वर्ष	05 भारतीय विक्रेताओं ने भागीदारी की	उपयोगकर्ता परीक्षणों हेतु नमूना प्रस्तुत किया गया।
(च)	बूट क्रैम्पंस (मात्रा-64998 अदद) संविदा अवधि-03 वर्ष	आरएफपी प्रकाशित की गई	
(छ)	अवालांसे एयर बैग (मात्रा-25000 अदद) संविदा अवधि-05 वर्ष	आरएफपी प्रकाशित की गई	

<u>विवाहित आवास परियोजना (एमएपी)</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 22)

समिति नोट करती है कि भारत सरकार द्वारा विवाहित आवास परियोजना महानिदेशालय(डीजी एमएपी) की स्थापना इंजीनियर-इन-चीफ के तत्वावधान में तीन सेवाओं के कर्मियों के लिए सेवा कर्मियां हेतु विवाहित आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से

विवाहित आवास का निर्माण किया गया था। भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए एमएपी की स्थापना की गई थी। योजना के तहत चार चरणों में दो लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण की योजना बनाई गई थी। वर्तमान में, शेष 9,903 आवासीय इकाइयों को चरण -II के तहत पूरा किया जाना है और 71,102 आवासीय इकाइयों की योजना चरण -III के तहत बनाई गई है, जिन्हें पूरा करने के लिए वार्षिक प्रमुख कार्य कार्यक्रम (एएमडब्ल्यूपी) को सौंपा गया है। समिति नोट करती है कि एमएपी के लिए 232.50 करोड़ रु. की आवंटित राशि (31 दिसंबर, 2021 तक) की तुलना में 2020-21 में 209.6507 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। समिति यह पता लगाने के लिए चिंतित है कि एमएपी के चरण-II और चरण-III के तहत आवासीय इकाइयों के निर्माण के लंबित होने के बावजूद, 2021-22 में धनराशि का उपयोग बहुत कम है जो कुल निधि का लगभग एक तिहाई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के व्यय के संशोधित नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की सीमा को संशोधित कर 25 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसलिए, समिति यह समझने में विफल रही कि मंत्रालय 2021-22 में शेष आवंटित राशि का उपयोग करने की स्थिति में कैसे होगा। इसलिए, समिति अनुशंसा करती है कि मंत्रालय को ठोस समय-सीमा के साथ एक व्यय तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में आवंटित निधियों का समग्र रूप से उपयोग किया जा सके ताकि अंत में निधियों को वापस नहीं करना पड़े।

सरकार का उत्तर

एमएपी के चरण -I और चरण -II में 1,98,881 आवासीय इकाइयों की कुल आवश्यकता की तुलना में 1,18,675 आवासीय इकाइयों (डीयू) को पूरा किया जा चुका है। वर्तमान में, एमएपी चरण -II की 9,785 आवासीय इकाइयों पर कार्य चल रहा है। अनुदान मांग 2022-23 की अनुपूरक बिन्दु सूची पर फरवरी, 2022 में सौंपे गए उत्तर के अनुसार, यह परिकल्पना की गई थी कि 195 करोड़ रुपए मार्च, 2022 तक व्यय किए जाएंगे, तथापि, 31 मार्च, 2022 को केवल 128 करोड़ रुपये ही व्यय किए जा सके। व्यय में विलंब मुख्य तौर पर कोविड महामारी से पैदा हुए अवरोध के कारण हुआ। इसके साथ ही, जोखिम एवं लागत अनुबंधों को चलाना एक जटिल प्रक्रिया है और संरचनात्मक कमियों, मध्यस्थता/ विविध मामलों के शामिल होने, टेंडर के दौरान ठेकेदारों की ओर से कार्य अकुशलता के कारण परिणाम अननुमेय होता है। कार्य प्रगति और व्यय की गति को बढ़ाने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाया गया है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए निधियों की मांग और अधिक वास्तविक जांच के बाद की जाएगी ताकि आखिरी चरण में निधियों को वापस सौंपने से बचा जा सके।

अध्याय - चार

ग. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं

सिफारिश (पैरा संख्या 10)

समिति नोट करती है कि रक्षा खरीद मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय द्वारा रक्षा पूंजीगत खरीद में ईमानदारी, सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक के सभी मामलों के लिए अनुबंध पूर्व ईमानदारी संधि (पीसीआईपी) का निष्पादन; शिकायतों का समयबद्ध निपटान जो सीवीसी/डीओपी एंड टी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं; सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (सीएफए) का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले एल1 विक्रेता की वैधता (विजिलेन्स स्टेटस) का पता लगाने के लिए जारी निर्देश; संदिग्ध संस्थाओं के साथ 60 सौदों में दंड के लिए दिशानिर्देश और पोत निर्माण कंपनियों के लिए क्षमता मूल्यांकन दिशानिर्देश शामिल हैं। इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि रक्षा क्षेत्र की खरीद प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता अत्यंत अनिवार्य है, समिति मंत्रालय की पहल की सराहना करती है और सिफारिश करती है कि उपरोक्त उपायों का सख्ती से पालन किया जाए और आयुध प्रणालियों की भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्ष और समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए । समिति उन मामलों की संख्या, यदि कोई हो, से अवगत होना चाहती है जिनमें व्यक्ति उपरोक्त दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद दोषी पाए गए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रक्षा पूंजीगत खरीद में सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा गठित सभी कदमों का बहुत सावधानी से पालन किया जा रहा है । रक्षा मंत्रालय के साथ सौदा करने से प्रतिबंधित/स्थगित/ निलंबित इत्यादि कंपनियों का विवरण रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर दिया गया है।

अध्याय - पाँच

घ. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार से अंतिम उत्तर प्रतीक्षित हैं

सिफारिश (पैरा संख्या 12)

समिति नोट करती है कि गत चार वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2020-21) के दौरान, सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपस्करों की खरीद के लिए कुल 239 अनुबंधों में से लगभग 1,18,111.98 करोड़ रुपये के 87 अनुबंधों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इज़राइल, फ्रांस, आदि विदेशी विक्रेताओं के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवधि के दौरान आयातित रक्षा उपकरणों में हेलीकॉप्टर, विमान, मिसाइल, राइफल, आर्टिलरी गन, सिमुलेटर और गोला-बारूद शामिल हैं। समिति आगे नोट करती है कि यद्यपि विदेशी विक्रेताओं से खरीद उनके भारतीय समकक्षों की तुलना में बहुत कम है, तथापि आयात पर व्यय 2016-17 से लगातार बढ़ रहा है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ऐसे उपाय और साधन तैयार किए जाने चाहिए जिससे आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं)-नए डीपीएसयू, डीपीएसयू, डीआरडीओ और निजी उद्योग न केवल आयातित उत्पादों के विकल्प का उत्पादन करने के लिए साथ मिलकर काम करें बल्कि अपनी निर्यात क्षमता का विस्तार भी कर सकें ताकि देश रक्षा उपस्करों का निर्यातक बन सके।

सिफारिश (पैरा संख्या 18)

<u>विदेशी प्रत्यक्ष निवेश</u>

समिति नोट करती है कि जहां कहीं भी आधुनिक तकनीक प्राप्त होने की संभावना है या किन्ही अन्य कारणों से, भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई, स्वत: मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत तक और सरकारी मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ दी है। समिति नोट करती है कि एफडीआई को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके साथ प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो और एफडीआई सीमा को भी काफी आकर्षक बना दिया गया है क्योंकि सरकारी मार्ग से 100 प्रतिशत तक एफडीआई का प्रावधान है। समिति का सुविचारित मत है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफडीआई की सीमा को 74 प्रतिशत तक बढ़ाने के बावजूद, आत्मनिर्भरता का उद्देश्य विफल न हो। समिति सिफारिश करती है कि एफडीआई को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किए गए उपायों के अलावा, मंत्रालय द्वारा देश के अनुसंधान और विकास आधार को मजबूत करने और देश के भीतर सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए

पुरजोर प्रयास किए जाएं, ताकि स्वदेशी रक्षा क्षेत्र को ऐसे प्रौद्योगिकियों/प्रणालियों/सहायक उपस्करों का विकास और निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जिन्हें एफडीआई मार्ग के माध्यम से देश में उपलब्ध कराने की मंशा है।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 20 दिसंबर, 2022 को 1500 बजे से 1700 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा
3. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
4. श्री रतन लाल कटारिया
5. श्री डी.एम. कथीर आनन्द
6. कुंवर दानिश अली
7. डॉ. राजश्री मल्लिक
8. श्री एन. रेड्डप्पा
9. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
10. श्री जुगल किशोर शर्मा
11. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
12. श्री प्रताप सिम्हा
13. श्री बृजेन्द्र सिंह
14. श्री दुर्गा दास उइके

राज्य सभा

15. श्री सुशील कुमार गुप्ता
16. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
17. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
18. श्रीमती पी.टी. उषा
19. श्री जी. के. वासन
20. ले. जनरल (डॉ.) डी.पी.वत्स (रिटा.)

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने 'देश में जिला सैनिक बोर्डों के कामकाज की समीक्षा' विषय पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी देने और की-गई-कार्रवाई संबंधी दो प्रारूप प्रतिवेदनों को स्वीकृत करने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, सभापति ने रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता से संबंधित माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निदेशों के निदेश 55(1) और 58 की ओर भी आकर्षित किया।

3. ****** प्रतिवेदन से संबधित नहीं है । *******

4. तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित विषयों संबंधी प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ उठाया:

(i) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य अभियंता सेवाएं, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग सं. 20 और 21) के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' विषय से संबंधित सत्ताइसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई;

(ii) 'रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना (मांग सं. 21) के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' विषय से संबंधित अट्ठाईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने बिना किसी बदलाव/संशोधन के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया। समिति ने सभापति को उपरोक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप प्रदान करने और उन्हें सुविधाजनक तिथि पर सदन में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

5. कार्यवाही की एक शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट - दो

'रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना(एमएपी) (मांग सं.21) के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

1. **कुल सिफ़ारिशें** **23**

2. **टिप्पणियां/सिफारिशें/जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (अध्याय दो):**

   पैरा सं. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,16,17,19,20,21,23

   (कुल: 18)
   प्रतिशत: 78%

3. **टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है (अध्याय तीन):**

   पैरा सं. 14,22

   (कुल: 2)
   प्रतिशत: 9%

4. **टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं (अध्याय चार):**

   पैरा सं. 10

   (कुल: 01)
   प्रतिशत: 4%

5. **टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार से अंतिम उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं (अध्याय पाँच):**

   पैरा सं. 12,18

   (कुल: 2)
   प्रतिशत: 9%